

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प.1(9)/रानिआ/लेखा/बजट/2025-26/541

दिनांक: 16.01.2026

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित, जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत/नगर निकाय),
कलक्टर (समस्त), राजस्थान।

विषय: — पंचायतीराज संस्थाओं/नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 में मतदान दलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिवस पर अल्पाहार/भोजन व्यवस्था बाबत।

महोदय,

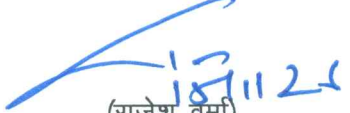
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं/नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 में मतदान दलों के कार्मिकों को चुनाव संबंधी प्रशिक्षण के दौरान अल्पाहार/भोजन व्यवस्था हेतु निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं:-

1. आधे दिवस के प्रशिक्षण हेतु राशि रु 75/- प्रति प्रशिक्षणार्थी
2. पूर्ण दिवस के प्रशिक्षण हेतु राशि रु 150/- प्रति प्रशिक्षणार्थी

जिला निर्वाचन अधिकारी उक्त निर्धारित दरों की सीमा में अल्पाहार/भोजन व्यवस्था हेतु व्यय विभागीय दिशा-निर्देशों, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं नियम-2013 में निर्धारित प्रक्रिया की पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।

उक्त व्यय संबंधित चुनाव मद से वहन किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 332600040 दिनांक 12.01.2026 के अनुसरण में प्रदान की जाती है।


(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 16.01.2026

क्रमांक: प.1(9)/रानिआ/लेखा/बजट/2025-26/542-547

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

1. महालेखाकार लेखा परीक्षा-I (आई.सी. II) राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/उपसचिव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. पंचायत चुनाव शाखा/भण्डार शाखा एवं लेखा शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
5. कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को आयोग की website पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाईल।


(सुरेश चन्द मीणा)
वरिष्ठ लेखाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान, जयपुर